कुमाऊँ मण्डल विकास निगम लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का प्रतिष्ठान)

ओक पार्क हाउस, नैनीताल – 263001

पत्रॉक 1665 /7-खनन/2020-21 दिनॉक 15 सितम्बर, 2020

निगम को आवंटित/आवंटन की प्रत्याक्षा में राजस्व उप खनिज क्षेत्रों में खनन निकासी के कार्य हेतु ई-निविदा के सम्बन्ध में दिनॉक 14.09.2020 को प्रीबिड मीटिंग आयोजित की गयी थी, जिसमें ई-निविदा में प्रतिभाग किये जाने वाले निविदाकारों द्वारा भाग लिया गया, जिनके द्वारा निविदा की शर्तो के सम्बन्ध में अपने-अपने विचार रखे गये तथा संसोधन किये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिनमें निगम प्रबन्धन द्वारा निर्णय लिया गया, जिनका संसोधन निम्न प्रकार हैः-

1- निविदा प्रपत्र के भाग-2 के कम संख्या-10 एवं 11 पर उल्लेखित उप खनिज क्षेत्र, भनोली सेरा व भण्डारी गॉव के निविदा प्रपत्र शुल्क की धनराशि को रू0 20,000/- (जी0एस0टी0 सहित) को कम करते हुए रू0 10,000/- (जी0एस0टी0 सहित) प्रति खनन क्षेत्र निर्धारित किया गया है।

2- निविदा प्रपत्र के भाग-1अ के पृष्ठ संख्या 6 पर उल्लेखित बिन्दु संख्या-30 के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि निविदाकार द्वारा जमानत के रूप में जो 01 वर्ष के आधार मूल्य एवं उस पर देय टैक्सों एवं शुल्कों के बराबर धनराशि की एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी को जमा किया जाना था। उसके स्थान पर निविदाकार द्वारा प्रर्तिभूति की धनराशि के रूप में 2 किश्तों के बराबर की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/एफ0डी0आर0/बैंक गारण्टी के माध्यम से जो प्रबन्ध निदेशक, कु0म0वि0नि0 के नाम से तथा नैनीताल में देय हो, जमा करना अनिवार्य होगा। यह धनराशि अनुबन्ध पूर्ण होने (5 वर्ष के पश्चात) के छः माह के पश्चात वापस की जायेगी। तदनुसार ही कम संख्या-29 पर अंकित बिन्दु में संसोधन समझा जाय।

3- निविदा प्रपत्र के पृष्ठ संख्या-9 पर अंकित बिन्दु संख्या-(v) को निम्नानुसार संसोधित किया गया है-

"निविदाकार द्वारा जिस जिले में आवेदन किया गया है, उस जिले के खनन अधिकारी से निविदादाता उद्यमी/व्यक्ति/संस्था के विरूद्ध खनन बकाया न होने से

संम्पर्क :- कार्यालय : 231437, 231985, 236043 फैक्स : 91-5942-236897

ई-मेल : kmvn@yahoo.com वेबसाइट : www.kmvn.gov.in

सम्बन्धित अदेयता प्रमाण पत्र तथा इस आशय का नोटराईज शपथ पत्र देना होगा कि राज्य के किसी भी खनन क्षेत्र की कोई देनदारी नहीं है, इसकी प्रति को स्कैन कर ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा। ऐसे निविदादाता जो कि प्रथम बार खनन सम्बन्धित निविदा में प्रतिभाग कर रहे हैं तथा जिन्हें खनन कार्य का कोई अनुभव नहीं है, वह उद्यमी/व्यक्ति/संस्था को प्रथम बार खनन कार्य किये जाने एवं अदेयता के सम्बन्ध में शपथपत्र देना होगा। उक्त अदेयता प्रमाण पत्र तथा शपथपत्र (जिस आवेदक हेतु जो लागू हो) को निविदादाता द्वारा स्कैन कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा तथा शपथपत्र को तकनीकी ई–निविदा के प्रपत्रों के साथ लिफाफे में ऑनलाईन बिड अपलोड की जाने की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व निगम मुख्यालय कार पार्किंग सूखाताल नैनीताल में जमा करना होगा।

4– निविदा प्रपत्र के पृष्ठ संख्या–10 पर अंकित बिन्दु संख्या–(च) के निम्नांनुसार संधोधित किया जाता है–

निविदादाता के उद्यमी/संस्था होने की दशा में हैसियत प्रमाण पत्र प्रकाशित ई–निविदा के भाग–2 में उल्लेखित हैसियत धनराशि के अनुरूप निर्धारित मूल्य की बैंक गारण्टी जो कि अपरिवर्तनीय हो अथवा सावधि जमा जो बैंक से निर्गत हो, प्रबन्ध निदेशक कुमाऊँ मण्डल विकास निगम के नाम 5 वर्षो हेतु बन्धक हो, तथा 5 वर्ष की अवधि हेतु हो, स्वीकार की जाएगी। इससे सम्बन्धित प्रपत्रों को स्कैन कर ई–निविदा पोर्टल पर ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा तथा ऑफ लाईन तकनीकी ई–निविदा के प्रपत्रों के साथ लिफाफे में ऑनलाईन बिड अपलोड की जाने की अन्तिम तिथि व समय से पूर्व निगम मुख्यालय कार पार्किंग सूखाताल नैनीताल में जमा करानी होगी। प्रत्येक आवेदन हेतु पृथक–पृथक सावधि जमा अथवा बैंक गारण्टी जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

5– उप खनिज क्षेत्र भण्डारी गॉव हेतु प्रेषित ई–निविदा में कार्य के नाम के स्थान पर टेण्डर रिफ्रेन्स न0 प्रदर्शित हो गया है, इसे **"Mining work at Site Bhandari Gaon (0.39 Hectare)"** पढ़ा जाय।

6- निविदा के वित्तीय भाग के प्रारूप को बदला गया है। निविदाकार द्वारा केवल प्रतिटन दर (बिना किसी टैक्स अथवास अन्य शुल्क के) अंकित की जानी होगी। निविदा प्रपत्र के पृष्ठ संख्या-4 के बिन्दु संख्या-8 के अनुसार समस्त टैक्स एवं अन्य शुल्कों का निविदाकार द्वारा अतिरिक्त रूप से भुगतान करना होगा।

7- सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध हस्ताक्षर न करने अथवा कार्य न करने की दशा में प्रबन्ध निदेशक, कु0म0वि0नि0 को H2 को कार्य देने व H2 द्वारा भी अनुबन्ध न करने पर H3 को कार्य देने अथवा निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का अधिकार होगा।

8- यदि निविदाकार द्वारा निविदा के वित्तीय भाग में कोट की गयी प्रतिटन की धनराशि निगम को तर्कसंगत प्रतीत नहीं होती है, तो उस दशा में प्रबन्ध निदेशक, कु0म0वि0नि0 को निविदा निरस्त कर पुनः निविदा आमंत्रित करने का पूर्ण अधिकार होगा।

9- फर्म/संस्था के नाम से आवेदन किये जाने की दशा में हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में निविदा प्रपत्र के भाग-2 में उल्लेखित हैसियत धनराशि के अनुरूप निर्धारित मूल्य की बैंक गारण्टी जो कि अपरिवर्तनीय हो अथवा सावधी जमा जो बैंक से निर्गत हो प्रबन्ध निदेशक, कु0म0वि0नि0 के नाम 5 वर्ष हेतु बन्धक हो, स्वीकार की जायेगी।

10- पृष्ठ संख्या-7 के बिन्दु सख्या-35 में निम्नानुसार संसोधन किया जाता है-

यदि निविदाकार के विरूद्ध खनन कार्य करने के दौरान अवैध खनन या नियमो के उल्लंघन की किसी भी स्तर से सूचना/शिकायत प्राप्त होती है व जांचोपरान्त सही पायी जाती है तो निविदाकार पर निगम स्तर से प्रथम बार न्यूनतम रू0 1.00 लाख, द्वितीय बार रू0 2.50 लाख व अधिकतम प्रबन्ध निदेशक के द्वारा लिये निर्णयानुसार अर्थदण्ड तत्काल वसूल लिया जायेगा। निविदाकार द्वारा यदि निर्धारित किये गये समय के भीतर यह धनराशि जमा नहीं की जाती तो इस धनराशि को उसकी जमानत के रूप में जमा धनराशि से वसूल किया जायेगा व तृतीय बार अनुबन्ध निरस्त कर प्रर्तिभूति की राशि जब्त करते हुए, शेष अवधि हेतु पट्टा संचालन के सम्बन्ध में सुंसगत कार्यवाही की जायेगी।

11- कोई भी निविदाकार एक या एक से अधिक खनन क्षेत्रों हेतु आवेदन कर सकता है तथा सफल होने पर खनन कार्य कर सकता है।

महाप्रबन्धक
कु0म0वि0नि0